(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

ईश्वरराम / सत्यनारायण

तारीख हुक्म	112/2009 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/17	अभिभावक पक्षकार उपस्थित। आज कन्डोलेंस हो जाने। R.A.A. महोदय अवकाश पर होने/अन्य प्रशासकीय कार्य होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/10/17 को पेश हो।	
12/10/17	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 10/1/18 को पेश हो।	
10/1/18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का निस्तारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिससे यह अपील सारहीन हो गई है इसलिये खारिज फरमाई जावे। चूंकि अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनानुसार धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। अतः अब यह अपील सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	